झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय (बजट) सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक :– 28 फाल्गुन, 1941 (श०) / 18 मार्च, 2020 (ई०) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगें :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां०सं०	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
109.	अ०सू०–09	श्री मनीष जायसवाल	अवैध मकानों के नक्शा की स्वीकृति।	नगर विकास एवं आवास	28.02.20
110.	अ०सू०–06	श्री प्रदीप यादव	सड़कों का सुदृढ़ीकरण।	ग्रामीण विकास	24.02.20
111.	अ०सू०–20	श्री सरयू राय	अनियमितता की जाँच।	पथ निर्माण	04.03.20
112.	अ०सू०–15	श्री सरयू राय	दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई।	पथ निर्माण	04.03.20
113.	अ०सू०–19	श्री सुदिव्य कुमार	आवासों की मरम्मति।	भवन निर्माण	04.03.20

रॉंची,
दिनांक– 18 मार्च, 2020 (ई०)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या:–झा०वि०स०(प्रश्न)–01/2020 1080 /वि०स०,रॉंची,दिनांक– 16/3/2020

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरधारी
16/03/2020
(गिरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्याः-:-झा०वि०स०(प्रश्न)-04/2020-1080/वि०स०,राँची,दिनांक- 16/3/2020

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

16/03/2020

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-:-झा०वि०स०(प्रश्न)-04/2020-1080/वि०स०,राँची,दिनांक- 16/3/2020

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा, वेवसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

16/03/2020

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर/-

14.03.20

109

श्री मनीष जयसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.03.2020 को पूछा जाने वाला अ0सू0 प्रश्न संख्या–अ0सू0–09 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2019 में राज्य के सभी नगर निकायों/नगर परिषदों एवं सभी क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्रों में अवैध रूप से बने मकानों के नियमितीकरण से संबंधित अधिसूचना निर्गत की गई है जिसके अन्तर्गत 28 मार्च 2020 तक आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की गई है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, राँची सहित राज्य में लगभग पाँच लाख मकानों का कई तकनीकी कारणों से सरकार द्वारा नक्शा स्वीकृत नहीं की जाने की स्थिति में भी लोग अपने मकानों का निर्माण कर रहे है;	अस्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित अधिसूचना के आलोक में पूर्व में बने अवैध मकानों की स्वीकृति राज्य में लागू नये बिल्डिंग बॉयलोज अन्तर्गत करने का प्रावधान निर्धारित की गई है जिससे राज्य में लगभग पाँच प्रतिशत लोगों के अवैध मकानों का नक्शा स्वीकृत किया जाना है;	अस्वीकारात्मक है। प्रभावी झारखंड भवन उपविधि, 2016 यथा संशोधित के प्रावधानों तथा इसके पूर्व के भवन उपविधि के प्रावधानों को जनहित में शिथिल कर अनाधिकृत आवासीय निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना, 2019 अधिसूचित किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित अधिसूचना अन्तर्गत राज्य में बने अवैध मकानों के नक्शा की स्वीकृति पुराने बिल्डिंग बॉयलोज के आलोक में करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रभावी झारखंड भवन उपविधि, 2016 यथा संशोधित के प्रावधानों तथा इसके पूर्व के भवन उपविधि के प्रावधानों को जनहित में शिथिल कर अनाधिकृत आवासीय निर्माण को नियमितीकरण करने के लिए योजना, 2019 अधिसूचित किया गया है। स्पष्ट है कि पुराने भवन उपविधि के अनुसार नियमितीकरण की कार्रवाई किया जाना जनहित में नहीं है।

झारखंड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–1081 राँची, दिनांक–16/03/2020

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखंड विधानसभा को उनके ज्ञा0सं0–471, दि०–28.02.2020 के आलोक में प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16-03-20
सरकार के अवर सचिव

(110)

दिनांक–18.03.2020 को माननीय स०वि०स० श्री प्रदीप यादव द्वारा सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–06

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स०	श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार राज्य के गाँवों को सड़कों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दो महत्वाकांक्षी योजनाओं –राज्य संपोषित न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम एवं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्रति वर्ष लक्ष्य निर्धारित कर कराती है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2001 से 2010 तक बनी 10 हजार किलोमीटर की सड़कें काफी जर्जर अवस्था में है, जिस कारण राज्य के ग्रामीणों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार विशेष योजना प्रारम्भ कर इन सभी सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	राज्य संपोषित योजना अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से पथों का सुदृढ़ीकरण कराया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में वर्ष 2010 से पूर्व बने पथों जिनकी कुल लंबाई लगभग 2000 कि०मी० है, के सुदृढ़ीकरण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत भी समय–समय पर पथों के मरम्मति हेतु कार्रवाई की जाती है। अगले वित्तीय वर्ष में भी विभागीय नीति के आलोक में सुदृढ़ीकरण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–56 / 2020 ग्रा०का०मा० 549 राँची / दिनांक– 17.03.2020

प्रतिलिपि–उप सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–261, दिनांक–24.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–56 / 2020 ग्रा०का०मा० 549 राँची / दिनांक– 17-03-2020

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17.3.2020
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–56 / 2020 ग्रा०का०मा० 549 राँची / दिनांक– 17.03.2020

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17.3.2020
सरकार के अवर सचिव।

(111)

श्री सरयू राय, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–"अ0सू0–20" का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि अग्रवाल ग्लोबल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ के संयुक्त उपक्रम को हंटरगंज–पांडेपुर– प्रतापपुर पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का काम 7933.149 लाख रूपए की लागत पर मार्च, 2017 में निविदा समिति द्वारा आवंटित हुआ, जबकि 13–जनवरी, 2017 को इंडियन कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत् पंजीकृत होने के कारण इस कंपनी को कार्य का पर्याप्त अनुभव नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। निविदा का निष्पादन सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त कंपनी को मेराल– बाना–अम्बखोरिया पथ का काम भी निविदा समिति द्वारा 3, अक्टूबर–2019 को आवंटित हुआ था जिसे अनियमित ठहराते हुए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया ;	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा LPA दायर किया गया है। यह मामला Subjudice है।
3. क्या यह बात सही है कि नगण्य अनुभव के बावजूद इस कंपनी को पथ निर्माण विभाग द्वारा अन्य निर्माण कार्य भी आवंटित हुए हैं जिसमें सरकार के प्रभावशाली व्यक्तियों का निहित स्वार्थ है ;	अस्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कंपनी ने झारखण्ड में कितना काम किया है और अनुभव नहीं रहने के बावजूद इसे कार्य आवंटन करने तथा निविदा समिति द्वारा इसे कार्यादेश देने में अनियमितता की जाँच करने एवं दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का विचार सरकार रखती है; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। विभाग द्वारा दायर LPA पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। यह मामला अभी Subjudice है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–30सू0–04 / 2020 981(5) राँची / दिनांक : 17/03/2020

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 719 दिनांक 04.03.2020 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/2020

सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
17.3.2020

(112)

श्री सरयू राय, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक 18.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–'अ0सू0–15' का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिला के मनोहरपुर प्रमण्डल के अन्तर्गत गुआ–सलाई पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य "वन एवं पर्यावरण की वैधानिक स्वीकृति" लिए बिना ही आरंभ कर दिया गया था;	अस्वीकारात्मक। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक 497 एवं 498 दिनांक 14.03.2015 के द्वारा प्रदत्त सशर्त्त अनुमति के आलोक में कार्य प्रारंभ किया गया था।
2. क्या यह बात सही है कि इस कार्य की स्वीकृति के लिए गलत ट्रैफिक सर्वे किया गया था और पथ की चौड़ाई अनावश्यक रूप से अधिक कर दी गई थी, जिसके कारण काफी संख्या में सारंडा सघन वन के वृक्षों की कटाई हुई और पर्यावरण की काफी क्षति हुई है;	अस्वीकारात्मक। Traffic Survey के अनुसार अनुमान्य चौड़ाई के अनुरूप ही पथ का निर्माण किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी वैधानिक अनुमति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है।
3. क्या यह बात सही है कि इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने पथ निर्माण विभाग और वन विभाग के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का वर्ष 2017 में निर्देश दिया है, जिस पर विभाग द्वारा अमल नहीं किया गया है;	प्रारंभिक रूप से निर्माण कार्य के क्रम में शर्त्तों से अस्थायी विचलन के संबंध में erring officers से उनका पक्ष प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई का निदेश माननीय NGT द्वारा दिए गए थे। इसके आलोक में संबंधित अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछे गये है। इस पर सरकार का निर्णय प्रक्रियाधीन है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार एनजीटी के आदेशानुसार दोषी अधिकारियों एवं व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक और नहीं, तो क्यों?	माननीय NGT ने अपने दिनांक 13.09.2018 के अंतिम आदेश में स्पष्टतः अंकित किया है कि We do not find any illegality per say in grant of "in-principle" approval for construction of the road.

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–अ0सू0–03/2020 980(5) राँची/दिनांक : 17/03/2020

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 718 दिनांक 04.03.2020 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/2020
सरकार के अवर सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
17.3.2020

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं० –अ०सू०–19 का उतर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्त्ता का नाम – श्री सुदिव्य कुमार, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में आज हजारों परिवार SECC के हुई गलतियों के कारण आवास योजना के लाभ से वंचित हो गये हैं।	**आंशिक स्वीकारात्मक** प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत SECC 2011 के आँकड़ों के आधार पर स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है। उक्त सूची से वरीयता के आधार पर लाभुकों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–19 तक 528791 ईकाई लाभुकों का आवास स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लक्ष्य 322000 ईकाई के विरूद्ध 300926 लाभुकों का आवास स्वीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 431066 ईकाई आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–19 तक 19000, 2019–20 में 10700 तथा 2020–21 में 5000 ईकाई आवास का लक्ष्य निर्धारित है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत एस०ई०सी०सी० (SECC) 2011 के आँकड़ों के आधार पर तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए योग्य परिवारों को जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Awaas+ App विकसित किया गया है। अब तक पूरे राज्य में 1475258 परिवारों का नाम जोड़ा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त इन परिवारों को आवास का लाभ देने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
2.	क्या यह बात सही है कि 90 के दशक में इस योजना के तहत बने आवासों की आज तक मरम्मति नहीं हो पाई है जिससे गरीब परिवार जर्जर भवनों में रहने को मजबूर है।	वित्तीय वर्ष 2013–14 में पुराने जर्जर इंदिरा आवास की मरम्मति से संबंधित योजना पर तत्कालीन वित्त विभाग से सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त योजना को बंद कर दिया गया है। वर्तमान में जर्जर इंदिरा आवास की मरम्मति के लिए बजट का प्रावधान नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में 90 दशक में बने आवासों की मरम्मति कराते SECC में हुई गड़बड़ियों को सुधारना चाहती है, हाँ, तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	

16/03/2020
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–10–वि०स०–12/2020/ग्रा०वि०– 1147 रॉंची, दिनांक :– 16.03.2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/2020
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–12/2020/ग्रा०वि०– 1147 राँची, दिनांक :– 16-03-2020

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/श्री सुदिव्य कुमार, मा०स०वि०स० के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड/सहायक निदेशक नगरीय प्रशासन निदेशालय (नगर विकास एवं आवास विभाग) को उनके पत्रांक 427 दिनांक 11.03.2020 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

16/03/2020

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–12/2020/ग्रा०वि०– 1147 राँची, दिनांक :– 16-03-2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

16/03/2020

सरकार के अपर सचिव।